इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक-22.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 20 वर्ष के कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना ऊसराहार व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 20 वर्ष के कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.05.2022 को थाना ऊसराहार क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त अनुज कुमार यादव पुत्र सत्यवीर सिंह के विरुद्ध वादी की पुत्री साथ दुष्कर्म करने के संबंध मे थाना ऊसराहार पर **मु0अ0स0 97/22 धारा 376AB भादवि व धारा 5 (M)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री गंगादास गौतम द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अनुज कुमार यादव पुत्र सत्यवीर सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना ऊसराहार पुलिस टीम पैरोकार का0 मोहम्मद उस्मान एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 22.02.2024 को अन्तर्गत धारा 376 AB भादवि तथा 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय ASJ/स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा 20 वर्ष के कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **अनुज कुमार यादव पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम वैदपुर थाना ऊसराहार जनपद इटावा।**